



2026:AHC-LKO:7613-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

रिट - सी संख्या - 12455 सन 2025

मोहम्मद इलियास

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

भारत संघ द्वारा सचिव विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	शंकर लाल पांडे
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को तथा श्री एस.बी. पांडे, विद्वान उप सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एवं वरिष्ठ अधिवक्ता को प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण पांडे की सहायता से एवं राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. यह याचिका निम्नलिखित मुख्य राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"1. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश प्रतिवादियों, विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गोमती नगर, लखनऊ को दिनांक 25.08.1993 को विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना (अनुलग्नक संख्या 1) के अनुसार पासपोर्ट जारी करने का आदेश देने हेतु, न्याय के हित में, जारी की जाए।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. इस मुद्दे पर कई निर्णय होने के बावजूद कि आपराधिक मामले के लंबित होने की स्थिति में, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 से संबंधित भारत सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार, मामले की निचली अदालत से अनापत्ति/अनुमोदन लेना आवश्यक है। यह याचिका **मोहम्मद तलहा बनाम भारत संघ (रिट-सी संख्या 1775/2025, दिनांक 01.05.2025 को निर्णीत)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को पढ़े बिना दायर की गई है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **रीता वर्मा बनाम भारत संघ; एसएलपी (सी) संख्या 7481/2024 दिनांक 20.09.2024** के मामले में दिए गए निर्णय को भी ध्यान में रखा गया है।

4. तदनुसार, याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फरवरी 2, 2026

अनुज सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।